कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–मा/सी–5/स्थानांतरण/भूगोल/2019–20/1–575 दिनांक–29.09.2019 के तहत् सुभाषचन्द्र वर्मा, व्याख्याता, भूगोल राउमावि. चौमू, जयपुर का स्थानांतरण राउमावि गोठड़ा, अलवर किया गया। सुभाषचन्द्र वर्मा ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 3023/2019 सुभाषचन्द्र वर्मा बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 3023/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.10.19 द्वारा अपीलार्थी सुभाषचन्द्र वर्मा को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए। अपीलार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण तक माननीय न्यायालय द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.092019 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन याचिकार्थीया के संबंध में स्थगित रखा गया।

माननीय अधिकरण निर्णय के क्रम में अपीलार्थी सुभाषचन्द्र वर्मा द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं की पत्नी कैंसर पीड़ित होने तथा बच्चों की देखभाल के आधार पर अपना पदस्थापन राउमावि चौमू (बालक/बालिका) जयपुर, राउमावि डयोढी जयपुर, राउमावि भानपुर कला जयपुर एवं राउमावि ढाणी नागान जयपुर की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से आधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरागंना से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता की श्रेणी में रखा गया हैं। अपीलार्थी का प्रकरण इनमें से किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आता। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 25.10.2019 में विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 को अपिलार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण तक स्थगित किया था चूंकि श्री सुभाषचन्द्र वर्मा का अभ्यावेदन उपर्युक्त आधारो पर खारिज किया जा चुका है अतः इन्हें निर्देशित किया जाता है कि ये विभागीय

आदेश दिनांक 29.09.2019 की अनुपालना में कार्यमुक्त हो कर अपने स्थानान्तरित स्थान राउमावि गोठड़ा जिला अलवर में व्याख्याता के पद पर तत्काल कार्यग्रहण करें अन्यथा इनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी–5/अभ्यावेदन/19–20/447 दिनांक:–18/11/2019

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

01. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
02. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
03. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
04. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, अलवर
05. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर।
06. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
07. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
08. संबंधित प्राधानाचार्य।
09. संबंधित कार्मिक।
10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर